

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
उम्मेद पुत्र सरदार जाति रावल बाहमण
निवासी रमणीया तहसील बाली तमैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व बाद GCMS NO. 2025/ 73

बाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
05/02/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम रमणीया स्थित भूमि खसरा नंबर 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 कुल खसरा 08 कुल रकबा 11.3800 हैक्टर कुल लगान 301.3200 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिरसा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, गुडालास एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अगल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(ओ 20 रूल 6, 7 जात्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‌नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
उम्मेद पुत्र सरदार जाति रावल ब्राह्मण
निवासी रमणीया तहसील बाली वगैरा


बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 73
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे रामक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम रमणीया स्थित भूमि खसरा नंबर 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 कुल खसरा 08 कुल रकबा 11.3800 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुरार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, गुडालास एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अगलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/02/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‌नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली




खसरा संख्या : 279 क्षेत्रफल : 6.0900 Hectare खाता संख्या : 27 पुराना खाता संख्या : 28

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : चाही प्रथम [2.3500, 96.35], जाव अचल [3.7400, 52.36]

- 1.) उम्मेद पुत्र सरदार हिस्सा- 55/324 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 2.) देवीशंकर पुत्र राणीया हिस्सा- 1/18 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 3.) देवीशंकर पुत्र राणा हिस्सा- 1/27 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 4.) बदामी पत्नि राणाजी हिस्सा- 2/9 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 5.) बदामी पत्नि राणीया हिस्सा- 1/18 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 6.) बदामी पत्नि राणा हिस्सा- 1/27 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 7.) भानाराम पुत्र डाय्या हिस्सा- 107/324 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 8.) राजू पुत्र राणीया हिस्सा- 1/18 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 9.) राजू पुत्र राणा हिस्सा- 1/27 जाति- रावलब्राह्मण सा. देह खातेदार

कृ. नि. भारावा



प्रमाणित प्रती

मोखमपुरा
I.C. मोखमपुरा

Ex-Court

3

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
तहसील-जिला, पाली (राज.)

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली